जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर
Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 33 संख्याः 27 प्रभात उदयपुर, शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

सुप्रीम कोर्ट ''आधार कार्डधारियों'' को सीधे ही नागरिकता का अधिकार देने के पक्ष में नहीं लगता?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर उसके सम्मुख चल रही बहस के दौरान संकेत दिया, आधार कार्ड अपने आप नागरिक होने का अधिकार नहीं देता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवंबर। आधार कार्ड प्राप्त करने में सफल रहे घुसपैठियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या एक गैर-नागरिक को आधार कार्ड होने पर मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक कल्याण लाभ सभी तक पहुंचे, और यह दस्तावेज़ स्वचालित रूप से मतदान का अधिकार नहीं प्रदान कर सकता।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कई राज्यों में मतदाता सूची की समीक्षा करने के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

- **''आधार कार्ड'' का सीमित मकसद था, कुछ सरकारी सुविधाएं, जैसे राशन उपलब्ध कराना। अगर किसी पड़ोसी देश से कोई भारत आता है, मजदूरी करने, तो उसे राशन की सुविधा, मानवीय कारणों से दी जाती है, पर, क्या उसे यह सुविधा देने का अर्थ उसे नागरिकता देना भी हो जाता है।**
- **कपिल सिब्बल ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि न्यायालय का फोकस, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, न कि प्रक्रिया की शुद्धता। सिब्बल ने आगे कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण तो नहीं, पर, आधार कार्ड से संभावना मेरे पक्ष में है कि मैं नागरिक हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। अगर इस कारण मुझे नागरिकता मिल सकती है, अगर गलत मिली है तो सरकार यह साबित करे, न्यायिक प्रक्रिया से, तथा तभी मेरी नागरिकता रद्द की जा सकती है।**

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि आधार कार्ड ''नागरिकता का पूर्ण प्रमाण'' नहीं है। बैंच ने कहा, ''इसलिए हमने कहा था कि यह दस्तावेजों की सूची में एक दस्तावेज़ होगा। यदि किसी का नाम हटाया जाता है, तो उसे हटाने का नोटिस दिया जाएगा।''

आधार अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि यह नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''आधार एक वैधानिक दस्तावेज है, जिसे लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को राशन पाने के लिए आधार दिया गया है, क्या उसे मतदाता भी बना दिया जाना चाहिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश का है और श्रमिक के रूप में काम करता है।''

कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को उस दस्तावेज़ की प्रमाणिकता का निर्धारण करने का अधिकार है, जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ''पोस्ट ऑफिस'' नहीं है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपभोक्ता आयोग ने शाहरुख, देवगन, टाइगर श्रॉफ, अमायरा से जवाब मांगा

जयपुर, 27 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम द्वितीय ने, ''विमल गुटखे के दाने-दाने में केसर का दम'' बताकर इसका भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री अमायरा दस्तूर, अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित, विमल गुटखा ब्रांड के निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से जवाब तलब किया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा ने यह आदेश गौरव तिवाड़ी के परिवाद पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।

- **आरोप है कि चारों ने विमल गुटखे में ''केसर बादाम'' बताकर भ्रामक प्रचार किया।**

परिवाद में कहा गया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल गुटखे का निर्माण कर उसे देशभर में विक्रय करने के लिए सप्लाई करती है और तीनों अभिनेता व अभिनेत्री इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका विज्ञापन करते हैं। परिवाद में कहा गया कि विज्ञापन में बताया जाता है कि इसमें केसर का मिश्रण है, जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और यह गुटखा पांच रुपए में आता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्पीकर का पद भी छीना भाजपा ने नीतीश से

शपथ ग्रहण के बाद भाजपा ने नीतीश को लगातार दूसरा झटका दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवंबर। बिहार के सत्ता गलियारों में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर अपना दबदबा मजबूत कर लिया है। जेडीयू से अति महत्वपूर्ण गृह विभाग छीनने के बाद, भाजपा ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्पीकर पद छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया है, जो कि शपथ ग्रहण के बाद उनके लिये दूसरा बड़ा झटका है।

नव-निर्वाचित बिहार विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, जब सभी 243 विधायकों को जेडीयू के प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव शपथ दिलायेंगे। प्रारंभिक औपचारिकताओं के 2 दिसंबर तक समाप्त होने के साथ ही, नये स्पीकर का चुनाव होगा, जो भाजपा के पक्ष में एकतरफा प्रतीत हो रहा है।

भाजपा ने पहले ही गया के 9 बार के विधायक और वरिष्ठ दलित नेता प्रेम कुमार का नाम इस प्रतिष्ठित पद के लिए प्रस्तावित कर दिया है। उनके नाम की औपचारिक घोषणा सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर द्वारा की जा सकती है।

- **एक दिसंबर को जद (यू) विधायक नरेन्द्र नारायण यादव प्रोटैम स्पीकर के रूप में विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उसी समय नए स्पीकर के नाम की घोषणा करेंगे। अगर कोई प्रतिद्वंदी नहीं हुआ तो वे निर्विरोध स्पीकर घोषित कर दिए जाएंगे। भाजपा ने इस पद के लिए वरिष्ठ दलित नेता प्रेम कुमार का नाम आगे किया है।**
- **आंतरिक सूत्रों ने बताया कि नीतीश पर केन्द्र का भारी दबाव है, फिलहाल वे ''वेट एण्ड वॉच'' की नीति पर चल रहे हैं।**
- **इस बार स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले ही नीतीश हों, पर सरकार पर नियंत्रण भाजपा का ही होगा।**

यदि चुनाव होता है, तो अगले दिन मतदान कराया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि जेडीयू अब इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है।

अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, केन्द्र के जबरदस्त दबाव के कारण नीतीश कुमार ने भाजपा से आगे टकराव से बचने के लिए ''प्रतीक्षा करो और देखो'' की रणनीति अपनाई है। गृह विभाग छिन जाने और अब स्पीकर पद भी जाता हुआ दिखाई देने की स्थिति में, गठबंधन में जेडीयू की सौदेबाजी की ताकत बहुत कम हो गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में सत्ता का संतुलन निर्णायक रूप से बदल चुका है। नीतीश मुख्यमंत्री भले ही बने रहें, लेकिन अब प्रशासनिक फैसले भाजपा नेतृत्व द्वारा, खासकर दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त करके ही, लिए जाएंगे।

स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाजपा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास तैयार है प्लान बी

अगर नेतृत्व ने उन्हें बदलने या डीके शिवकुमार को लाने के संकेत दिए तो.......

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। कांग्रेस के भीतर 'लीडरशिप गेम्स' का कर्नाटक संस्करण गुरुवार को तेज हो गया।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का खेमा अब पूरी तरह सतर्क है और जरूरत पड़ते ही दिल्ली पहुंचकर पार्टी पर दबाव बनाने की तैयारी में है कि शीर्ष पद पर वही बने रहें। इस सप्ताह उन्होंने पार्टी में पैदा हुई 'उलझन' को स्वीकार किया था और कहा था कि पार्टी को अब इस पर 'पूर्ण विराम' लगा देना चाहिए। इसके बाद सूत्रों का कहना है कि वे 'वेट-एंड-वॉच' मोड में हैं।

सूत्रों का कहना है कि यदि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से जरा भी संकेत मिला कि उनके प्रतिद्वंद्वी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार , जो सार्वजनिक रुप से मुख्यमंत्री पद के प्रति झुकाव को नकार चुके हैं, को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो सिद्धारमैया के समर्थक तुरंत सक्रिय हो जाएंगे।

- **सूत्रों का कहना है कि आलाकमान ने अगर नेतृत्व परिवर्तन के संकेत दिए तो सिद्धारमैया विकल्प के रूप में अपने करीबी का नाम आगे कर सकते हैं, जैसे जी. परमेश्वरा, जो एक प्रभावशाली दलित नेता हैं और खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ मे बता रहे हैं।**
- **बताया जाता है कि यह रणनीति पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली, जो सिद्धारमैया समर्थक हैं, के घर पर बनाई गई है।**
- **हालांकि, डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए खुलकर कोई जिज्ञासा जाहिर नहीं की, पर, वे पुराने वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं, जिसमें यह वादा भी शामिल है कि सिद्धारमैया ढाई साल बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और डीकेएस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।**

सूत्रों ने कहा, और यदि पार्टी नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने पर फिर भी अड़ती है, तो सिद्धारमैया खेमे की योजना है कि नामों की एक वैकल्पिक सूची पार्टी के समक्ष सामने रखी जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में बहुविवाह पर रोक लगी

गुवाहटी, 27 नवंबर। असम विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम बिल पास किया है, जिसके तहत अब राज्य में बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) करना कानूनी अपराध होगा।

- **असम विधानसभा ने गुरुवार यह बिल पास किया।**

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करना है।

बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो यह अपराध माना जाएगा।

इस ''असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी'' बिल 2025 में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही, पीड़ित महिला को मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या बुलेट ट्रेन प्रोजैक्ट में जापान पर निर्भरता कम करना चाहता है रेल्वे

जापान लीकी केबल सिस्टम और शिकान्सेन रैक्स के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, जबकि रेल्वे उसके सस्ते विकल्प तलाश रहा है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2027 तक मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना के तहत सूरत से वापी खंड में 100 किलोमीटर की दूरी पर 250 किमी/घंटा की गति से विश्वसनीयता, उपलब्धता, रखरखाव और स्थिरता का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था, ''508 किलोमीटर लंबे गलियारे की पूरी लंबाई 2029 में शुरू हो जाएगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा का समय घटकर 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा।''

भारत के पहले हाई-स्पीड रेल गलियारे के लिए लोक निर्माण कार्य प्रगति पर है। नागरिक कार्यों की प्रगति हो रही है। हालांकि, जापान और भारत के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे सिग्नलिंग सिस्टम और रोलिंग स्टॉक पर मतभेदों के कारण समय और लागत में वृद्धि हो रही है। जापान, जो इस परियोजना की 80 प्रतिशत लागत का वित्तपोषण कर रहा है, लीकी कोऑक्सिकल सिस्टम (एलसीएक्स) सिस्टम की तैनाती और शिंकान्सेन रैक की पसंद पर जोर दे रहा है।

- **जापान इस प्रोजैक्ट का 80 प्रतिशत खर्च उठा रहा है। सवाल यह है कि रेल्वे की सस्ते विकल्प ढूंढने की रणनीति जापान को कहीं नाराज़ ना कर दे।**
- **रेल्वे अगस्त 2027 में सूरत से वापी के बीच 256 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पर हाई स्पीड ट्रेन की विश्वसनीयता, रख रखाव, टिकाऊपन और उपलब्धता का परीक्षण करेगा। रेल मंत्री ने 2029 तक बुलेट ट्रेन शुरु होने की संभावना जताई।**

भारत यूरोपीय निर्माताओं से रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता को आधी कीमत पर प्राप्त करना चाहता है, जो जापान द्वारा 49 दस-कोच हाई-स्पीड ट्रेन सैट्स के लिए उद्धृत की गई कीमत से लगभग आधी है। अधिकारियों ने बताया, जापान ने इस आपूर्ति को ई-10 शिंकान्सेन रैक के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये में देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि पश्चिमी देशों से यह स्टॉक लगभग 10,000 करोड़ रुपये की लागत पर खरीदा जा सकता है।

लागत को कम करने और जापान पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से, भारतीय रेलवे ने 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्टैंडर्ड गेज ट्रेनसेट्स के स्वदेशी निर्माण की योजना को तेज कर दिया है, जो वर्तमान में सरकारी -स्वामित्व वाले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले सप्ताह सूरत एचएसआर स्टेशन की समीक्षा यात्रा के बाद, बीईएमएल को इन ट्रेनसेट्स को 2027 की शुरुआत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों का कहना है दो प्रोटोटाइप रैक सूरत-वापी खंड में विश्वसनीयता उपलब्धता रखरखाव व स्थिरता परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाएंगे।

भारतीय रेलवे ने लीकी केबल सिस्टम के बजाय 'ओपन सोर्स'

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी ने कई राज्यों में मेडिकल कॉलेजों पर छापे मारे

नयी दिल्ली, 27 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े भ्रष्टाचार घोटाले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ , गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

- **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अधिकारियों को गोपनीय निरीक्षण पर रिश्वत देने के मामले में यह कार्यवाही हुई।**

यह छापेमारी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गयी है। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इण्डो-अमेरिकन व्यापारिक समझौता अभी जल्दी ही फाइनल होने वाला नहीं है?

हालांकि, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व उनकी टीम, बार-बार ढिंढोरा पीट रही है कि ''ट्रेड डील'' की केवल घोषणा ही होनी बची है

-सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। वरिष्ठ अधिकारियों और स्वयं वाणिज्य मंत्री द्वारा यह उम्मीद जताने के बावजूद, कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता लगभग तय होने वाला है, बातचीत में दोनों पक्षों को कोई असली कामयाबी नहीं मिल पा रही है। सच्चाई यह है कि कई गहरे मतभेद दोनों देशों के बीच बड़ी बाधा बने हुए हैं। दोनों पक्ष शुरुआती समझौते को अंतिम रूप देने की इच्छा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर मतभेद कायम हैं, उन्हें देखते हुए कोई भी समझौता सीमित दायरे वाला ही होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील मांगों पर कितना समझौता करने को तैयार हैं।

सबसे बड़ी रुकावट कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, खासकर अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कुछ अनाज और डेयरी उत्पादों के आयात को लेकर। अमेरिका चाहता है कि इन पर शुल्क कम हो और डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, सेब, मेवे, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (प्रोसैस्ड फूड्स) और एथेनॉल जैसे उत्पादों को भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच मिले। वहीं भारत के लिए कृषि, विशेषकर डेयरी, खाद्यान्न और जीएम फसलें, एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। भारत का तर्क है कि सस्ते और सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पाद छोटे किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खाद्य सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं।

- **कृषि उत्पाद व डेयरी प्रोडक्ट्स पर मतभेद अभी भी उसी स्थिति में है, जो बातचीत के प्रथम दिवस से था।**
- **अमेरिका चाहता है, डेयरी, खाद्यान्न के बेचने के लिए उसे खुली छूट मिले। पर, डेयरी प्रोडक्ट्स उन मवेशियों के दूध से तैयार किये जाते हैं, जो पशु बाय प्रोडक्ट्स मिश्रित चारे पर पले होते हैं। अतः भारत की आम जनता सांस्कृतिक (कल्चर) कारणों से इन डेयरी प्रोडक्ट्स को स्वीकार नहीं करेगी। पर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स काफी सस्ते होंगे और इजाज़त मिली तो भारत के मार्केट पर कब्जा कर लेंगे तथा भारत में छोटे-छोटे सहकारी प्रयासों से चल रहा डेयरी उद्योग चौपट हो जाएगा।**

सांस्कृतिक और खान-पान की आदतों की वजह से डेयरी आयात का मुद्दा खास तौर पर संवेदनशील है, और क्योंकि भारतीय डेयरी कोऑपरेटिव और छोटे डेयरी किसान घरेलू रैगुलेटरी और टैरिफ रुकावटों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। भारत ने हमेशा व्यापार समझौतों में डेयरी क्षेत्र को उदारीकरण से बाहर रखा है और इस बार भी यही रुख कायम है। अमेरिकी डेयरी उत्पादों, खासकर जानवरों के बाय-प्रोडक्ट या जी.एम. कंटैंट वाले चारे पर पलने वाले मवेशियों से बने प्रॉडक्ट्स के लिये अपने बाज़ार खोलना, लोगों के साथ-साथ, रैगुलेटरी चिंताओं को भी बढ़ाता है।

कृषि और डेयरी के अलावा भी, कई क्षेत्र विवाद का कारण बने हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटोमोबाइल (विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन), पेट्रोकेमिकल और कुछ अन्य औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क कम करे। इसके बदले भारत उम्मीद करता है कि अमेरिका इस्पात, एल्युमिनियम, ऑटो-पुर्ज़े, इंजीनियरिंग सामान और वस्त्र, चमड़ा, रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान भारतीय उत्पादों पर लगाए गए भारी शुल्क में राहत दे।

रुकावटों में रैगुलेटरी और नॉन टैरिफ रुकावटें भी खास तौर पर शामिल हैं। भारत अपनी रैगुलेटरी ऑटोनोमी बनाए रखना चाहता है, जिसमें, खेती और खाने के इंपोर्ट के लिए क्वालिटी और सेफ्टी स्टैण्डर्ड तथा जी.एम. प्रॉडक्ट पर रोक शामिल है। लेकिन अमेरिका अपने एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा आसान, ज्यादा सरल ट्रेड और कम रैगुलेटरी रुकावटों के लिए जोर दे सकता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विस्फोट का मुख्य आरोपी बिलाल वानी एनआईए रिमांड पर

श्रीनगर, 27 नवंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को दिल्ली कार बम विस्फोट के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल वानी को सात दिन की रिमांड पर ले लिया। दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने वानी को सात दिन की हिरासत में भेजने का फैसला किया।

- **एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिये ड्रोन में टैक्निकल बदलाव किये।**

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड के रहने वाले वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि वानी ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए ड्रोन में टेक्निकल बदलाव किए और रॉकेट बनाने की भी कोशिएश की,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)